

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
30प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय: सचिवालय के कार्मिकों को अनुमन्य संशोधित विशेष भत्ते की भांति राजस्व परिषद 30प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद कार्यालय के कार्मिकों को भी संशोधित विशेष भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-86/1-16जी/2016, दिनांक 29 अगस्त, 2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद लखनऊ/इलाहाबाद के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-144(1)/एक-6-2010-124(06)/89-308, दिनांक 19-05-2010 द्वारा निम्नांकित तालिका के स्तम्भ -3 में उल्लिखित दर से विशेष भत्ता अनुमन्य है।

2- मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-25/2016/वे0आ0-2-558/दस-8(मु0स0स0)/2008 टी0सी0, दिनांक-12-05-2016 के माध्यम से लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद में राजस्व परिषद सेवा संवर्ग के निम्नलिखित कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को शासनादेश संख्या-144(1)/एक-6-2010-124(06)89-308, दिनांक 19-05-2010 द्वारा अनुमन्य विशेष भत्ता की वर्तमान दरों को स्तम्भ-4 के अनुसार दिनांक 13-05-2016 से संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य विशेष भत्ते की दरें (रू0 में)	25 प्रतिशत की वृद्धि 10 के गुणांक में पूर्णांकित किये जाने के उपरान्त संशोधित दरें (रू0 में)
1	2	3	4
1	संयुक्त निबन्धक	1500	1880
2	अधीक्षक/निजी सचिव तथा समकक्ष वेतनमान के पद	1500	1880
3	अनुभाग अधिकारी से उच्च किन्तु अनु सचिव से निम्न वेतनमान के पदों पर कार्यरत सहायक सचिव/	1500	1880

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	निबन्धक/प्रलेखीयकरण अधिकारी एवं समकक्ष पद		
4	समीक्षा अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद	1200	1500
5	सहायक समीक्षा अधिकारी व उसके समकक्ष वेतनमान के पद	850	1070
6	टंकक/नैतिक लिपिक व उनके समकक्ष वेतनमान के पद	700	880
7	टंकक से निम्न वेतनमान के पद	625	790

3- राजस्व परिषद 30प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद के सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पदों पर अनुमन्य हो रहे उपरोक्तानुसार सचिवालय भत्ते में से क्रमशः रू0 400, रू0 200 एवं रू0 600 के अंश को उनके ग्रेड वेतन में सम्मिलित करते हुए उक्त पदों पर क्रमशः ग्रेड वेतन रू0 4600, रू0 4800 एवं रू0 5400 अनुमन्य कराये जाने के निर्णय के फलस्वरूप सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के फलस्वरूप सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पदों पर सचिवालय भत्ता क्रमशः रू0 670, रू0 1300 एवं रू0 1280 ही देय होगा।

4- राजस्व परिषद, 30प्र0/इलाहाबाद के अधिकारियों/कर्मचारियों के विशेष भत्ते स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-144(1)/एक-6-2010-124(06)/89-308, दिनांक 19-05-2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के पंजीयन संख्या-वे0आ0-1-1023/दस-2016 दिनांक 02-01-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या-1257(1)/एक-6-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद
- 2- वित्त (वे0आ0) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, 30प्र0 शासन।
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।